न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 31/2006
आरसीएमएस नं. 2006/00085

1. जगदीश पुत्र श्री दौलतराम जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –फौत

1/1 सुनीता पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

1/2 अर्जना पुत्री
1/3 संजू पुत्री
1/4 अरविन्द पुत्र
} नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुनीता पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

2. गोमती देवी पत्नी
3. रामसिंह पुत्र
4. रघुवीर पुत्र
5. राजेन्द्र पुत्र
6. इन्द्रा पुत्री
7. सन्तोष पुत्री
} स्व0 श्री सोहनलाल जाति जाट निवासीयान दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

7. हरदयाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील जाति जाट निवासीयान दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ। –फौत

7/1 गीता पत्नी
7/2 हेतराम पुत्र
7/3 रणजीत सिंह पुत्र
7/4 विनोद पुत्र
} हरदयाल जाति जाट निवासीयान दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

8. राजाराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासीयान दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. दौलतराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ–फौत

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Logic
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9/1 नरेन्द्र पुत्र
9/2 कलावती पुत्री
9/3 शिमला पुत्री
} श्योकरण जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील जिला हनुमानगढ।

10. विद्यादेवी पत्नी
11. औमप्रकाश पुत्र
} श्री राजाराम जाति जाट निवासीयान दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

12. धर्मपाल पुत्र श्री राजाराम जाति जाट निवासीयान दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –फौत

12/1 दर्शना देवी पत्नी
12/2 अंकित कुमार पुत्र
12/3 वनीता पुत्री
} धर्मपाल जाति जाट निवासीयान दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

13. महावीर पुत्र
14. सुलोचना पुत्र
} राजाराम जाति जाट निवासीयान दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

15. श्योकोरी पत्नी
16. भादरराम पुत्र
17. विजय सिंह पुत्र
18. कैलाश देवी पुत्री
19. विमला पुत्री
20. रामप्यारी पुत्री
21. सन्तोष पुत्री
} दलीप राम जाति जाट निवासीयान दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

22. परमेश्वरी पत्नी
23. ताराचन्द पुत्र
24. सुरजीत पुत्र
25. नाथी देवी पुत्री
} साहबराम जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

26. देवीलाल पुत्र श्री नाम नामालूम जाति जाट कासनिया निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

27. जगदीश पुत्र
28. नेतराम पुत्री
29. जुगदेश्वरी पुत्री
30. सुलोचना पुत्री
} श्री देवीलाल जाति जाट (कासनिया) निवासी खिनानिया

31. रामेश्वरी पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

32. मनीराम पुत्र श्री बालूराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी (नाम कलमजन दिनांक 19.06.2009)
33. कृष्ण चन्द –फौत
    - 33/1 मंजू पुत्री
    - 33/2 विनादे पुत्र
    - 33/3 राकेश पुत्र

    } श्री कृष्णचन्द पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी खिनानीया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
34. राजेन्द्र पुत्र
35. प्रताप पुत्र
36. दयाराम पुत्र
37. महेन्द्र पुत्र

    } मनीराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
38. कमला पुत्री श्योकरण पत्नी श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 7 डीएलपी ढाणी धोलीपाल तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
39. रामकुमार पुत्र तनसुख जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ
40. मनीदेवी पत्नी
41. जयसिंह पुत्र
42. उग्रसेन पुत्र
43. इन्द्रा पुत्री
44. सुखवर्षा पुत्री

    } श्री कृष्णचन्द्र पुत्र तनसुख जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ
45. गुलाबी देवी पुत्री श्योकरण पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमागनढ।
46. गुड्डी पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
47. उप पंजीयक कार्यालय संगरिया
48. तहसीलदार राजस्व, संगरिया जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 04.05.2006
द्वारा सहायक कलक्टर, संगरिया
प्रकरण संख्या 19/2005 बअनवान जगदीश बनाम गोमती देवी आदि

Lario
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रमेशदास पुरोहित अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 9/2, 9/3, 12/3
श्री रविन्द्र गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक – 15.09.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधज्ञा का एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि वर्तमान में मृतक श्योकरण व उसके परिवार जनों के नाम से राजस्व अभिलेख में विभिन्न चकों की कुल 191 बीघा 11 बिस्वा भूमि है जो वादी व प्रतिवादीगण को विरास्तन प्राप्त होने से उक्त भूमि में श्योकरण व उसके 6 पुत्रों का विरास्तन 1/7 हिस्सा की दर से 6.923 है0 यानि 27 बीघा 7–1/4 बिस्वा हिस्सा मृतक श्योकरण के बनता था तथा इसी क्रम में प्रार्थी के दादा मृतक श्योकरण का भी 27 बीघा 7–1/4 बिस्वा का हिस्सा रहा जो उनके मरणोपरान्त सभी वारिसान को विधिक प्रावधानों के अनुसार विभाजित होना था। सुन्दर देवी के जीवित नही होन के कारण मृतक श्री श्योकरण को प्राप्त 27 बीघा 7–1/4 बिस्वा का हक उनके 6 पुत्रों व 7 पुत्रीयों को बहिस्सा बराबर की दर से 2 बीघा 2 बिस्वा का प्रत्येक को प्राप्त होना था लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 46 ने दुर्भि सन्धी कर हिन्दू विधि के प्रावधानों के विपरीत कुल कृषि भूमि को मृतक श्योकरण के सभी पुत्रों व पुत्रीयों तथा पत्नी सुन्दर देवी के नाम से गलत नामान्तरण करवा लिया। प्रार्थी मृतक श्री श्योकरण के पुत्र श्री दौलतराम का पुत्र होने से इस कृषि भूमि में जन्म से हक अधिकार अपने पिता दौलतराम के समतुल्य हैं। यह कृषि भूमि वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के परिवार की सहदायी की पुरूष सदस्यों के कब्जा काश्त में है। श्योकरण की पुत्रियों का इस भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण बदयान्त तथा राजस्व अभिलेख में हुए इस गलत अंकन के आधार पर उक्त कृषि भूमि को बिना किसी विधि अधिकारिता के रहन बेय व अन्य प्रकार से अन्तरित करने पर उतरू हैं यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया कि कुछ भूमि श्योकरण की स्वअर्जित भूमि थी स्व0 श्योकरण की लड़कियों व लडकियों के वारिसान की तरफ से दस्तबरदारी की होने के अभिकथन लिए तथा आराजी का पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में विभाजन होना बताया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई खिलाफ कानून, व विधि के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। विभन्न न्यायालयों के सिद्धान्त में यह भली भान्ति प्रतिपादित हैं कि दावा के दौरान विवादित सम्पति को निषेधाज्ञा के जरिये सुरक्षित रखा जाना होता है तथा किसी भी प्रकार से दौराने दावा सम्पति को वेस्ट-डेमेज व एलीनियेट होने से रोका जाना चाहिए जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। हिन्दु विधि के सिद्धान्तों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार यह विधिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि हिन्दु परिवार के बारे में तथा विशेष रूप से पिता व पुत्रों के सम्बन्ध में संयुक्त होने का कानूनी कयास है। विचारण न्यायालय ने इस पर भी कोई गौर नहीं किया है। राजस्व रिकार्ड में भी उपरोक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है जिससे इस भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति न माने जाने का कोई आधार नहीं है। निर्णय में यह अंकित किया है कि पंजीबद्ध दस्तावेज दस्बरदारियां जो स्व0 श्योकरण की लड़कियों व लड़कियों के वारिसान ने निष्पादित की है उनकी पुष्टि वाद में प्रस्तुत फोटो प्रतियों से होती है यह धारण अदालत मातहत की कतई गलत है। कथित दस्तबरदारियों व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के सम्बन्ध में निर्णय को मूल वाद में गुणावगुंण पर साक्ष्य के बाद ही तय किया जाना है। धारा 212 आरटीएक्ट के निर्णय के समय राईट या टाईटल डिसाईड नही किया जाता बल्कि प्रोटी को उसकी वर्तमान स्थिति में सुरक्षि रखना मात्र होता है। निर्विवाद रूप से स्व0 श्योकरण को अपने पूर्वजों से भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण ने कुछ भूमि को स्वअर्जित होना बताया है मगर इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यदि यह मान भी लिया जाय कि कुछ भूमि उसके द्वारा अर्जित की गई थी तो भी पैतृक सम्पति की आय से अगर कोई भूमि खरीद भी कर ली है तो वह भी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति ही मानी जाती है। संयुक्त परिवार की सम्पति को विशिष्ट किले के साथ विक्रय नहीं किया जा सकता है यदि विक्रय विलेख कर भी दिया जाता है तो भी क्रेता संयुक्त परिववार की सम्पति में न तो घुस सकता है तथा न ही वह किसी भी प्रकार से उसका उपयेाग व उपभोग कर सकता है। संयुक्त हिन्दू परिवार की जददी जायदाद में अपीलाण्ट का पैदायाशी हक है यह विधिक स्थिति है। स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा भी नही होगी अगर अप्रार्थीगण का कोई हक कम या ज्यादा बनेता तो मूल दवा के निर्णय के बाद इस भूमि का अन्तरण करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

स्वीकार की जावे एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। रेस्पोडेण्ट/कुछ अप्रार्थीगण ने कुछ कृषि भूमि स्व0 श्योकरण की स्वअर्जित भमि होना अपने जवाब में अंकित किया है परन्तु अपीलाण्ट का यह कथन आया है कि कुछ भूमि स्व0 श्योकरण की खरीदशुदा मान भी लिया जाता है तो वह भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति की आय से खरीद की सूरत में वह पैतृक सम्पति की परिभाषा में ही आयेगी। जहां तक दस्तबरदारी का प्रश्न है मुल्ला हिन्दू ला के आर्टीकल 264 एवं आरआरटी 2014 पेज 509 में पारित अवधारणा के अनुसार दस्तबरदारी बाबत मूल वाद में निर्णय होना है जिसके पंजीबद्ध होने मात्र से किसी विशिष्ट सहकाश्तकार व्यकित के हक में नहीं मानी जा सकती है। इस कारण आज ही पक्षकारान के हक हिस्सा का विशिष्ट रूप से निर्धारण नही किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2002 आरआरडी पेज 744, 1993 आरआरडी पेज 206, 1983 आरआरडी पेज 310 डी. बी., 2014 आरआरटी पेज 209, 2021 आरआरटी पेज 1325 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट जगदीश का जन्म श्योकरण की मृत्यु के उपरान्त हुआ है। स्व0 श्योकरण की समस्त कृषि भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 1956 की धारा 8 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार स्व0 श्योकरण के उत्तराधिकारियों में न्यागत हुई है जो पूर्णरूप से विधि सम्मत है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं रहा है। अपीलाट एवं रेस्पोडेण्ट संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य नहीं तथा ना ही ऐसी स्थिति में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के परिवार है तथा ना ही सहदायिकी है। श्योकरण को कुल 30.765 है0 भूमि विरास्तन में प्राप्त हुई एवं 11.067 है0 भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि है। इस प्रकार कुल 48.640 है0 भूमि स्व0 श्योकरण के नाम से रही अन्य किसी परिवाजन के नाम से नहीं रही। उसकी मृत्यु के बाद उसकी भूमि उसके समस्त उत्तराधिकारियों में न्यागत होकर नाम से अंकित हुई है। चक 15 बीजीपी की भूमि के संबंध में तथ्यों को तोड मरोड़ कर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा स्व0 श्योकरण की कृषि भूमि सहदायगी सम्पति मानते हुए हिस्से में विभाजित किया है जो विधि विरूद्ध है। श्योकरण के नाम से अंकित भूमि किसी भी प्रकार से सहदायिगी की संरचना व गठन नही हुआ अपितु उक्त भूमि स्व0 श्योकरण की पृथम सम्पति है। स्व0 श्योरकण द्वारा अपने जीवन काल में ही संयुक्त हिन्दू परिवार का विघटन हो गया था तथा उत्तराधिकारियों को अपनी कृषि भूमि भी पृथक पृथक कर काश्त हेतु उनकी सहमति व अनुमति से दी गई थी तथा उसी अनुसार आज तक सभी उत्तराध्किारियों की कब्जा काश्त में है परन्तु उक्त बंटवारे के अनुसार आपसी प्रेम व विश्वास के कारण राजस्व अभिलेख में अंकन नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

हुआ। स्व0 श्योकरण के मृत्यु के उपरान्त दिनांक 19.02.71 व 28.01.1971 को नामान्तरण हो गया था। श्योकरण की जीवित पुत्रियों व मृत पुत्रियों के उत्राधिकारियों द्वारा अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग पंजीकृत दस्तबरदारी के माध्यम से किया जा चुका है। दावा में संस्थित करने केसमय उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा तथा श्योकरण की भूमि संयुक्त से काश्त नहीं की जा रही है। इसका ज्ञान अपीलाण्ट को पहले से ही ऐसी स्थिति में किसी भी तर से सम्पति अन्तरित करने का प्रश्नगत ही उत्पन्न नहीं हेाता है। अपीालण्ट अपने पिता के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित कृषि भूमि में से ही कोई कृषि भूमि प्राप्त कर सकता है उसके विरूद्ध ही वाद पेश कर सकता है। श्योकरण की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक वारिसान के हक में नामान्तरण के जरिये अंकन हो चुका है जिसका प्रार्थी के पिता सहित श्योकरण के समस्त वारिसान द्वारा इसे स्वीकार किया गया है तथा सभी की सहमति रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि 48.460 है0 भूमि में मृतक स्व0 श्याकरण को प्राप्त 27 बीघा 7–1/4 बिस्वा कृषि भूमि उनके छः पुत्रों व सात पुत्रियों में समभाग की दर से 2 बीघा 2 बिस्वा करी प्रत्येक को प्रापत होना था किन्तु हिन्दू विधि से नामान्तरण न करवाकर विधि को प्रावधानों के विपरीत कुल भूमि को मृतक श्री श्योकरण के पुत्रों व सभ पुत्रियों व पत्नी सुन्दर देवी के नाम से गलत रूप से राजस्व अभिलेख में नामान्तरण दर्ज करवाया है। प्रार्थी मृतक श्री श्योकरण के पुत्र दौलत का पुत्र होने से प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक प्राप्त करने का अधिकार अपने पिता दौलतराम के समतुल्य बताये हैं। जबकि रेस्पोडेण्ट का कथन है कि प्रश्नगत कुछ भूमि श्योकरण की खरीदशुदा स्वअर्जित भूमि थी तथा श्योकरण जिसका बंटवारा हो चुका था पुत्रियों ने एवं पुत्रियों के वारिसों ने जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी अपना हक त्याग दिया था और श्योकरण की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ है इसका कोइ हक हिस्सा नहीं है वह अपने पिता के हिस्से में अपना हिस्सा ले सकता हैं। कुछ भूमि स्व0 श्योकरण की खरीदशुदा मान भी लिया जाता है तो वह भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति की आय से खरीद की सूरत में वह पैतृक सम्पति की परिभाषा में ही आयेगी। जहां तक दस्तबरदारी का प्रश्न है मुल्ला हिन्दू ला के आर्टीकल 264 एवं आरआरटी 20 4 पेज 509 में पारित अवधारणा के अनुसार दस्तबरदारी बाबत मूल वाद में निर्णय होना है जिसके पंजीबद्ध होने मात्र से किसी विशिष्ट सहकाश्तकार व्यकित के हक में नहीं मानी जा सकती है। इस कारण आज ही पक्षकारान के हक हिस्सा का विशिष्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रूप से निर्धारण नही किया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि श्योकरण की खरीदशुदा भूमि थी अथवा नहीं थी तथा दस्तबरदारी का विवाद एवं अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में हक हिस्सा है अथवा नहीं इन बिन्दुओं का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। दावा के रोज की स्थिति कानूनन यथावत रखी जानी आवश्यक है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2002 पेज 208 के अनुसार पारिवारिक सदस्यों के मध्य वाद विवाद हो वहां पर अप्रार्थी को रिकार्डेड खातेदार होने पर भी हस्तान्तरण व मुन्तकिल से कानूनन रोका जा सकता है। इस प्रकरण में पारिवारिक सदस्यों के मध्य आराजी को लेकर वाद विवाद है ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.2006 निरस्त किया जाता है एवं रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद के निस्तारण तक अपील के पैरा सं0 1 में वर्णित कुल आराजी 48.460 है0 यानि 191 बीघा 11 बिस्वा भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बेय या अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/9/22

(करतारसिंह पूनीया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़